न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 11/2018

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, बारां(राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री देवकीनन्दन पुत्र श्री हरिबल्लभ मैन बाजार कवाई
तहसील–अटरू जिला–बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**
2. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली,अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 27.03.2019

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 21.05.2018 को ग्राम पंचायत कवाई में घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर दल सहित श्री देवकीनन्दन पुत्र हरिबल्लभ के घर पर पहुँचकर जॉच की गयी, मौके पर देवकीनन्दन उपस्थित मिले जिनके सामने मकान परिसर की जॉच की गयी। जॉच करने पर रिहायशी मकान पर मौके पर 9 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.)जिसने 7 भरे हुये एवं दो खाली सिलेण्डर पाये गये। एक गैस भरने का मोटर वॉलपाईप उपकरण पाया गया। वक्त जॉच मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओ एवं थानाधिकारी कवाई ने बताया कि मकान मालिक द्वारा वाहनों में अवैध रिफलिंग का कार्य किया जाता है। इसपर उपस्थित देवकीनन्दन से पूछताछ की गई, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया ना हीं मौके पर इस बाबत कोई दस्तावेज पेश किये गये। मौके पर पाये गये गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्न प्रकार है।

क0स0	सिलेण्डर का एस.आ.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.ली. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौति सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्ध गैस का भार
1	849138 S	HPCL	14.2	15.7	30.0	14.3
[illegible]	157888	HPCL	14.2	15.5	29.7	14.2
[illegible]	765166 P	HPCL	14.2	15.7	29.9	14.2
[illegible]	265658	HPCL	14.2	16.1	30.0	13.9
[illegible]	289678 S	HPCL	14.2	16.1	30.1	14.0
[illegible]	907550 S	HPCL	14.2	15.6	29.8	14.2
7	914551 S	HPCL	14.2	15.7	29.9	14.2
[illegible]	377891 S	HPCL	14.2	16.0	16.0	0
[illegible]	638233 T	HPCL	14.2	15.8	15.8	0
	Total					99

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी द्वारा घरेलू प्रयोजनार्थ गैस सिलेण्डरों का अपने व्यवसायिक हितो की पूर्ति में काम में लिया गया है। मकान मालिक घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध वाहन में रिफलिंग का कार्य करते है। इस रिफलिंग से गैस रिसाव जैसी दुर्घटना होने का भी अंदेशा रहता है। इसप्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग कर उक्त रिहायशी मकान मालिक ने राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लघंन किया है।

2— अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस का रिफरिंग कर, व्यवसायिक उपयोग पाये जाने पर उक्त 9 सिलेण्डरो को भरी हुई गैस सहित एवं एक गैस मोटर, वॉलपाईप उपकरण को जप्त सरकार कर रूबरू मौतबिरान श्री हेमन्त पुत्र बृजमोहन निवासी कवाई हाल प्रतिनिधि मै. शिवम् एच.पी. गैस एजेन्सी की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थी द्वारा इस्तगासा पेश कर जप्तशुदा 9 गैस सिलेण्डरो को मय 99 किग्रा. गैस एवं उपरोक्त वर्णित अवैध रिफलिंग की सामग्री को नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

3— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी के उपस्थित आने पर अप्रार्थी ने अपने समर्थन में दिनांक 09.07.2018 को जवाब इस्तगासा पेश किया गया।

4— अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि अप्रार्थी ने प्रवर्तन अधिकारी को मौके पर पूर्णतया संतोषजनक जवाब दिया गया था। मनगढ़न्त तथ्यों का सहारा लेकर अवैध रिफलिंग गैस का कार्य करना स्वीकार नहीं है। जॉच अधिकारी ने मौके पर किसी स्थानीय निवासी को बुलाकर पूछताछ नहीं की। ना हीं अवैध रिफलिंग करने की कोई साक्ष्य जुटायी है। राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधान का कोई उल्लघंन नहीं हुआ है क्योकि घरेलू गैस सिलेण्डरो में कम्प्रेस्ट प्रेशर से भरी हुयी गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस वैधानिक रूप से नहीं मानी जा सकती। इसलिये इन नियमों के उसपर प्रावधान लागू नहीं होते है।

5— साथ हीं विशेष कथन में निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा कभी भी गैस रिफलिंग का कार्य नहीं किया गया है एवं ना हीं वक्त निरीक्षण रिफलिंग की जा रहीं थी। सत्य तो यह है कि अप्रार्थी मौके पर घर पर नहीं था, घर पर पत्नी थी। मेरे [illegible] श्री किशनचन्द मंगल एवं श्रीमती सुधा के पुत्र, स्व. श्रीमती रामकन्याबाई एवं [illegible]लभ मंगल नि. कवाई के पुत्र आशीष की शादी दिनांक 06.07.2018 को [illegible] परिवार में शादी होने की वजह से रसोई घर में एवं शादी के लिये लगातार [illegible] व परिवार एवं स्नेहभोज के लिये दो सिलेण्डर स्वंय के, दो सिलेण्डर गौरव [illegible] सिलेण्डर किशनचन्द मंगल के, 2 सिलेण्डर गोपी मंगल के और एक सिलेण्डर [illegible]देवी का जिसकी गैस डायरी की प्रति पेश की गयी है, उनके रखे गये थे। [illegible]वा जप्तशुदा गैस भरने की मोटर वाल वाईप उपकरण पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त है, जो उपयोग योग्य नहीं है। अप्रार्थी के पहले मारूती वेन थी जो गैस से चलती थी,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसलिये गैस मोटर व उपकरण क्षतिग्रस्त स्थिति में पायी गयी है। अप्रार्थी ऑटो पार्टस की दुकान लगाकर परिवार का निर्वाह करता है एवं जप्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी के भाई के लडके आशीष की शादी के लिये रखे थे। मैरे द्वारा किसी आपराधिक तरीके से अवैधानिक लाभ कमाने के लिये या गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने के लिये नहीं रखे गये थे। इस बाबत पडौसियों की कोई साक्ष्य नहीं ली गयी है। इस प्रकार जप्तशुदा गैस सिलेण्डरो को लौटाये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

6— प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

7— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि कवाई में गैस सिलेण्डरों से गैस रिफलिंग की शिकायत प्राप्त होने पर, अप्रार्थी के रिहायशी मकान पर गठित दल के साथ छापा लगाया गया था। मौके पर रिहायशी मकान में 9 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) जिनमें 7 भरे हुये एवं दो खाली सिलेण्डर मिले एवं अवैध रिफलिंग के उपकरण गैस भरने की मोटर,वॉल पाईप मिले। इसके संबंध में मौके पर उपस्थित अप्रार्थी से पूछताछ की गयी। किन्तु अप्रार्थी द्वारा इन गैस सिलेण्डरों एवं उपलब्ध सामानों के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो की अवैध तरीके से ऊंची दर से रिफलिंग की जाती है, जो घोर कानूनी अपराध है। अप्रार्थी का रिहायशी मकान घनी आबादी में है। अप्रार्थी द्वारा किये जा रहे अवैध गैस रिफलिंग कार्य से कभी भी जान माल का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 99 किग्रा. एवं वर्णित सामान को राजसात किया जावे।

8— इसके विपरीत विद्धान अप्रार्थी अभिभाषक ने पेरोकार रसद के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि अप्रार्थी के रिहायशी मकान से रसद विभाग द्वारा गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामान जप्त किये गये है। जप्ती के समय अप्रार्थी द्वारा जो कारण बताये है एवं इस्तगासे में अंकित किये गये है, पूर्णतया असत्य, निराधार एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है तथा गैरकानूनी है। अप्रार्थी के विरूद्व झूठी शिकायत पर पूर्ण मानस बनाकर, कार्यवाहीं की गयी है। कार्यवाहीं के दौरान अप्रार्थी उपस्थित नहीं था, पत्नी उपस्थित थी। समस्त कार्यवाहीं अप्रार्थी पर दबाव बनाकर व मनगढन्त [illegible] तैयार की गयी है। अप्रार्थी ने वक्त निरीक्षण रसद विभाग से निवेदन किया [illegible] सिलेण्डर अप्रार्थी ने परिवार में भाई के पुत्र आशीष की शादी दिनांक [illegible] को होने की वजह से रिश्तेदारों के खाने पीने की व्यवस्था हेतु परिवार एवं [illegible] मिलने वालो के गैस सिलेण्डरों को एकत्रित किया गया है तथा गैस मोटर [illegible] पाईप खराब स्थिति में है, चालू नहीं है। इनका उपयोग अप्रार्थी द्वारा पहले [illegible] होने से उसमें उपयोग में ली जाती थी किन्तु उसका काफी समय पहले [illegible] का बेचान कर दिया है तब से हीं उक्त मोटर व वॉल पाईप खराब स्थिति

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

में घर पर रखे हुए है। उसके द्वारा कभी भी गैस रिफलिंग का कार्य नहीं किया गया है ना हीं अवैध रिफलिंग की गरज से उक्त सिलेण्डरों को रखा गया है। अप्रार्थी के विरूद्व अवैध तरीके से कार्यवाहीं की गयी है। कार्यवाहीं के दोरान ना तो अप्रार्थी व परिवार की कोई गवाहीं या साक्ष्य ली गयी है ना हीं पडौसियों एवं जिन उपभोक्ताओं के गैस सिलेण्डर है उनकी साक्ष्य भी नहीं ली गयी है। समस्त कार्यवाहीं आनन फानन में की गयी है। मात्र सरकारी तथ्य जुटाकर हीं एकपक्षीय कार्यवाहीं गयी है। अप्रार्थी ने ऐसा कोई अवैध रिफलिंग का कोई कार्य नहीं किया गया है।

9— साथ हीं यह भी कथन किया कि अप्रार्थी को घरेलू गैस सिलेण्डरों की रिफलिंग करने का दोषी मानकर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के तहत कार्यवाहीं कर, धारा 6(ए) का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। जबकि कूकिंग गैस कम्प्रेस्ट एवं स्टोर्ड गैस होती है। द्रवित गैस नहीं होती है। इस प्रकार इस्तगासे में जिन नियमों को उल्लघंन बताया गया है। यह नियम इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। इस्तगासा कानून विरूद्व होने से प्रारम्भतः हीं शून्य है। अतः जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों को अप्रार्थी को लौटाया जाकर, इस्तगासा खारिज फरमाया जावे।

10— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा दिनांक 21.05.2018 को शिकायत पर अप्रार्थी के मकान पर मौके पर 9 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) जिसमें 7 भरे हुये एवं दो खाली एवं गैस भरने की मोटर, वॉल पाईप को जप्त कर राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया है। जबकि अप्रार्थी का कथन रहा है जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों की उसके द्वारा रिफलिंग नहीं की गयी है। अवैध रिफलिंग के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। मात्र कयास के आधार पर इस्तगासा तैयार किया गया है तथा जिस कानून में इस्तगासा पेश हुआ है, इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। इसलिये इस्तगासा निरस्त किया जावे।

11— इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि अप्रार्थी के रिहायशी मकान पर 9 गैस सिलेण्डर एवं अन्य रिफलिंग करने का सामान गैस मोटर, वॉल पाईप पाया गया है। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी ने वक्त निरीक्षण अपने समर्थन को कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा भाई के [illegible] के लिये घरेलू गैस सिलेण्डरों को एकत्रित करना बताया है। जबकि [illegible] है कि शादी के स्नेहभोज में घरेलू गैस सिलेण्डरो का भी उपयोग नहीं [illegible] सकता। अप्रार्थी ने अपने समर्थन में ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं [illegible] जिससे यह माना जा सके कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रिफलिंग का कार्य नहीं किया जाता। मौके पर उपलब्ध गैस सिलेण्डरों एवं रिफलिंग में प्रयुक्त सामग्री से [illegible] है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध ऊंची [illegible] रिफलिंग कार्य किया जाता है। इसी आघार पर प्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों एवं सामग्री का जप्त किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12— परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) एवं एक गैस मोटर, वॉल पाईप को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 09 गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामानों को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी एच0पी0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा अन्य सामान को खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इ

जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official